न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–18 / 22
केशवदेव पुत्र श्री बृजमोहनलाल जाति नाई निवासी तरसूमा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान)

.....अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत तरसूमा पंचायत समिति बयाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तरसूमा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान)

......रैस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 158 ग्राम बुढवार फैसल दिनांक 20.8.2009 द्वारा ग्राम पंचायत तरसूमा पं0सं0 बयाना वावत आराजी ख0न0 साविक 402, 403, 404 एवं नवीन खसरा नम्बर 609, 610, 611, 616 लगायत 619 वाके ग्राम बुढवार तह0 बयाना।

दिनांकः– 02/01/26

निर्णय

उपस्थितिः– श्री नरेश गौड एड0 अपीलान्ट

अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 158 ग्राम बुढवार फैसल दिनांक 20.08.2009 द्वारा ग्राम पंचायत तरसूमा प0स0 बयाना बावत आराजी खसरा नम्बरान साविक 402, 403, 404 एवं नवीन खसरा नम्बर 609, 610, 611 616 लगायत 619 वाके ग्राम बुढवार तहसील बयाना के तहत पेश कर निवेदन किया कि नवीन आराजी खसरा नम्बर 609 रकवा 0.05, 610 रकवा 0.10, 611 रकवा 0.07, 616 रकवा 0.15, 617 रकवा 0.36, 618 रकवा 0.35, 619 रकवा 0.20 किता 7 कुल रकवा 1.28 है0 वर्तमान जमावन्दी सम्बत 2073 लगायत 2076 खाता संख्या 174 ग्राम बुढवार तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है जो साविक आराजी खसरा नम्बर 402 मिन रकवा 1 वीघा 1 विस्वा, 403 मिन रकवा 3 वीघा 9 विस्वा, 404 मिन रकवा 3 वीघा 8 विस्वा किता 3 कुल रकवा 7 वीघा 18 विस्वा से बनाये गये है नकल जमावन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है उक्त साविक आराजी खसरा नम्बरान 402 मिन रकवा 1 वीघा 1 विस्वा, 403 मिन रकवा 3 वीघा 9 विस्वा, 404 मिन रकवा 3 वीघा 8 विस्वा किता 3 कुल रकवा 7 वीघा 18 विस्वा वाके ग्राम बुढवार तहसील बयाना के 1/3 भाग को अपीलान्ट न जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 10.09.1985 को इसके पूर्व खातेदार चिरंजी पुत्र परसादी जाति नाई निवासी तरसूमा तहसील बयाना से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था उक्त विक्रय पत्र उपपंजीयक महोदय बयाना के यहां रखी जाने वाली पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 12 क्रम संख्या 1168 में पृष्ट संख्या 1712 पर दिनांक 10.09.1985 को अपीलान्ट केता के हक में पंजीवद्ध हुआ है उक्त वयनामा में अपीलान्ट का नाम मुसम्मी केशवदेव पुत्र बृजमोहनलाल जाति नाई निवासी तरसूमा तहसील बयाना जिला भरतपुर दर्ज है प्रमाणित प्रतिलिपि वयनामा संलग्न है उक्त वयनामा तारीखी 10.9.1985 के आधार पर श्रीमान् तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 29.7.2009 के पालना में अपीलान्ट को

नाम नामान्तकरण संख्या 158 ग्राम बुढवार, हल्का पटवारी सुरतीपुरा द्वारा दिनांक 02.08.2009 को भरकर उचित कार्यवाही हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक गागवपुरा के समक्ष पेश किया गया तदनुसार भू0अ0निरीक्षक द्वारा उक्त नामान्तकरण को बिना जांच किये ही अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मुताबिक बयनामा व जमाबन्दी अनुसार अंकन सही है का अंकन दिनांक 12.08.2009 को कर दिया गया और उक्त नामान्तकरण को ग्राम पंचायत तरसूमा के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.08.2009 को पेश किया गया उक्त नामान्तकरण संख्या 158 के कॉलम संख्या 3 लगायत 7 के स्थान पर कॉलम नम्बर 9 लगायत 13 को सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत तरसूमा द्वारा बिना जांच किये स्वीकार करते हुये फैसल किया गया उक्त नामान्तकरण की प्रविष्टि कॉलम नम्बर 3 लगायत 7 सही दर्ज की गई है लेकिन कॉलम नम्बर 9 में अपीलान्ट केता के नाम को अशुद्ध **मु0 सम्मी0 व केशवदेव** दर्ज किया गया है जो मुताबिक बयनामा सही अंकन नही किया गया मुसम्मी एक उर्दु शब्द है जिसका अर्थ नामक, नामवाला, नामधारी, नामी व्यक्ति से है जिसे बयनामा मे लिखा जाता था नामान्तकरण में मु0सम्मी और केशवदेव के बीच में शब्द व गलत लिखा गया है इस प्रकार नामान्तकरण खिलाफ मौका व गैरकानूनी है और काबिज निरस्तनीय है लायक अधीनस्थ ग्राम पंचायत तरसूमा का यह आदेश कानूनी प्रकिया अपनाये बिना एवं कौरम पूर्ति किये बिना ही बयनामा तारीखी 10.9.1985 की बिना जांच किये ही फैसल किया गया है जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत को बयनामा के मुताबिक ही नामान्तकरण संख्या 158 को फैसल किया जाना चाहिये था जो अवैध शून्य व अवैधानिक है और अपास्त होने योग्य है अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण संख्या 158 के कॉलम नम्बर 9 में हल्का पटवारी द्वारा बयनामा तारीखी 10.9.1985 के अनुसार **मुसम्मी केशवदेव** दर्ज किया जाना चाहिए था और उक्त नाम की गलती वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चली आ रही है और अपीलान्ट के उक्तानुसार दो नाम **मु0 सम्मी व केशवदेव** वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गये है और वर्तमान जमाबन्दी में केशवदेव पुत्र बृजमोहनलाल हिस्सा 1/6, सम्मी पुत्र बृजमोहनलाल हिस्सा 1/6 दर्ज है जिसके मुताबिक अपीलान्ट केशवदेव का हिस्सा कम हो गया है जबकि मुताबिक बयनामा **मुस्म्मी केशवदेव** एक ही व्यक्ति है और उसका हिस्सा 1/3 दर्ज होना चाहिए था रैस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त गलत व अवैध नामान्तकरण संख्या 158 के जरिये राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम **मु0 सम्मी व केशवदेव** दर्ज हो गया है जिसकी अपीलान्ट को दिनांक 26.7.2022 तक कोई जानकारी नही हो पाई थी अपीलान्ट दिनांक 27.07.2022 को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत अपने खातेदारी भूमि की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त करने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे जमाबन्दी मे दो नाम केशवदेव व सम्मी कर रखे है और हिस्सा भी अलग–अलग है तब हल्का पटवारी से अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 158 की नकल दिनांक 29.7.2022 को प्राप्त की है और वर्तमान जमाबन्दी निकलवाई व इस नामान्तकरण में हुई गलती की जानकारी अपीलान्ट को हुई है जानकारी होने के दिनांक से यह अपील माननीय न्यायालय मे अन्दर म्याद पेश की जा रही है अब इस नामान्तकरण की जानकारी एवं नकल दिनांक 26.7.2022 को प्राप्त होने की दिनांक 29.7.2022 तक की डिले को कन्डौन किया जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार की जाकर मैरिट पर सुना जाना आवश्यक है डिले को कन्डौन करने के लिए धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 158 के कॉलम नम्बर 9 में किये गये इन्द्राज को नजरअन्दाज किया है और ग्राम पंचायत ने इसे सरसरी तौर पर स्वीकृत कर कानूनी प्रावधानो की अवहेलना की है इसलिए नामान्तकरण संख्या 158 के कॉलम नम्बर 9 मे दर्ज **मु0सम्मी व केशवदेव** के स्थान पर **मुसम्मी केशवदेव** शुद्ध कराने हेतु तहसीलदार बयाना को रिमाण्डर किया जाना निहायत ही आवश्यक है नामान्तकरण संख्या 158 ग्राम बुढवार तहसील बयाना की बावत फैसल आदेश 20.8.2009 ग्राम पंचायत तरसूमा द्वारा पारित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 158 ग्राम बुढवार तहसील बयाना अपास्त किया जाकर उसे अपीलान्ट के नाम केशवदेव के हद तक स्वीकार फरमाया जाकर पुनः विधिवत मुताबिक बयनामा तारीखी 10.9.1985 मे दर्ज नाम **मुसम्मी** के बाद अंकित शब्द **व** को हटाये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैसपोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.07.2025 को रैसपोडेन्ट बाद रजि0 तलबी न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं है।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस एड0 अपीलान्ट सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात फोटोप्रति बयनामा तारीख 10.09.1985, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बुढवार, नकल नामान्तकरण संख्या 158, नकला जमाबन्दी सम्वत 2074–77 का गहनता से अवलोकन किया। बयनामा तारीख 10.09.1985 में अपीलान्ट का नाम मुसम्मी केशवदेव पुत्र बृजमोहनलाल, जाति नाई निवासी तरसूमा तहसील बयाना लिखा गया है। नामान्तकरण संख्या 158 स्वीकृत दिनांक 20.08.2009 में कॉलम संख्या 09 काश्तकार की नई प्रविष्टि में मु0 सम्मी व केशवदेव पुत्र बृजमोहनलाल, जाति नाई निवासी तरसूमा खातेदार हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण में संभवतया नई प्रविष्टि में अशुद्वि हुई है। मुसम्मी केशवदेव के स्थान पर सहवन से मु0 सम्मी व केशवदेव दर्ज होने से एक ही व्यक्ति दो बार अलग–अलग नाम से खातेदार दर्ज हो गया है तथा हिस्सा 1/6 दर्ज हो गया है। यदि मु0 सम्मी व केशवदेव दो अलग–अलग व्यक्ति है तो उक्त नामान्तकरण की नई प्रविष्टि में पुत्रान या मु0 सम्मी के रिश्ते का उल्लेख होना चाहिए था। जो उक्त नामान्तकरण में नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बयाना को नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 20.08.2009 अपास्त कर इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की कॉलम संख्या 14 दर्ज बयनामा तारीखी 10.09.1985 का विधिवत परीक्षण कर, सही अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना